



GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS' P.G. COLLEGE, DURG(C.G.)

(Old Name: Govt. Girls PG College, Durg) Pincode-491001, Ph No. 2323773

Email- govtgirlspgcollege@gmail.com Website: www.govtgirlspgcollegedurg.com



Number of students admitted from the reserved categories year-wise during the last five years

2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
2081	1764	1484	1309	1299


Number of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years

Year	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Government rule						Number of students admitted from the reserved category					
	SC	ST	OBC	Gen	Others	Total	SC	ST	OBC	Gen	Others	Total
2018-19	476	1270.4	555.8	1548.3	119.1	3970	327	347	1403	835	4	2916
2017-18	419	1116.8	488.6	1361.1	104.7	3490	292	331	1135	812	6	2576
2016-17	416	1110.4	485.8	1353.3	104.1	3470	259	268	952	705	5	2189
2015-16	376	1002.2	438.48	1221.48	93.96	3132	234	263	808	954	4	2263
2014-15	369	984.64	430.78	1200	92.31	3077	238	251	808	762	2	2061

Note: No. of Seats earmarked and No. of students admitted under reserved category are as per the Chhattisgarh State Reservation policy for admissions in educational institutes, which states as follows:

Reservation of seats in Educational Institutions of Chhattisgarh: The reservation of seats in admission to each academic session, and its extent in an Educational Institution shall be in the following manner, namely -

- out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, thirty two percent seats shall be reserved for the Scheduled Tribes;
- out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, twelve percent seats shall be reserved for the Scheduled Castes;
- out of the annual permitted strength in each branch of study or faculty, fourteen percent seats shall be reserved for the Other Backward Classes.


Principal
PRINCIPAL
Govt Dr. WW. Patankar
Girls PG. College, Durg (C.G.)

**CHHATTISGARH STATE
RESERVATION POLICY
GUIDELINES FOR
ADMISSION IN
EDUCATIONAL INSTITUTES**



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: registrar@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2359400

क्रमांक 209 / अका. / 2018
प्रति,

दुर्ग, दिनांक 08 / 06 / 2018

प्राचार्य,

समस्त संबद्ध महाविद्यालय,

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत विषयक।

संदर्भ:- संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 1702/326/आउशि/ समन्वय/2018,
नया रायपुर दिनांक 06/06/2018।

-----0000-----

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें तथा छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2018-19 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत में दिये गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 08 / 06 / 2018

पृ. क्रमांक 210 / अका. / 2018

प्रतिलिपि:-

- (01.) संयुक्त संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (02.) माननीय कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहायक कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग(छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
नया, रायपुर (छ.ग.)

कमांक / 1709-326 / आउशि / समन्वय / 2018
प्रति,

—00—

नया रायपुर, दिनांक 6/06/2018

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक 02.06.2018

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)
नया रायपुर, दिनांक /06/2018

पृ.कमांक / / / आउशि / समन्वय / 2018
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर / अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक / / 2017
02 JUN 2018

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 213/आउशि/समन्वय/2017 दिनांक निरंक


-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(नलिनी माथुर)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक / / 2018

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2018-2019

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।
5. प्रवेश की पात्रता :-
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) "विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।"

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4

के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्ववर्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्ग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-**

12.1 **प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-**

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से **बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।**

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से **बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।**

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से **चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।**

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथार्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि



का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्वधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- | | | |
|-----|--|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में गुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रपति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |
| (य) | ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट | 10 प्रतिशत |

- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



(डॉ. किर्ण राजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1917 / अका. / सीट वृद्धि / 2019

दुर्ग, दिनांक : 16 / 12 / 2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सीट वृद्धि सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	शासकीय डॉ. वा. वा., पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला - दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.A. Non Permanent Affiliation B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology including additional subj. Microbiology (30) B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths B.Com M.A.- Hindi M.A.- English M.A.- Sociology M.A.- Economics M.A.- Political Science PGDCA	320+30=350 160+20=180 80+20=100 320+50=370 20+10=30 20+10=30 20+10=30 20+10=30 20+10=30 30+20=50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 16 / 12 / 2019

पृ.क्र. 1918 / अका. / सीट वृद्धि / 2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

1918
12-19



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.य.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1915 / अका. / वार्षिक संबद्धता / 46 / 2019

दुर्ग, दिनांक : 16 / 12 / 2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.A.- Hindi, English, Economics, Political Science, Sociology, Home Science Including additional subj. with non-perma. Affili. Music (60), Chitrakala(60), History, Psychology, Bharat Natyam (60) Non Permanent Affiliation B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology including additional subj. Microbiology (30) B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths B.Sc.- Home Science Including Food Sc. & Quality Control B.Com M.A.- Hindi M.A.- Economics M.A.- Sociology M.A.- Political Science M.A.- English M.A.- Geography M. A.- Home Science M.Sc.- Physics M.Sc.-Zoology M.Sc.- Mathamatics M.Sc. - Chemistry M.Sc.- Botany M.H.Sc. - Food & Nutrition M.Com. PGDCA	350 180 100 60 370 30 30 30 30 30 15 20 20 20 20 10 15 20 80 50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

Gurani

22
19/12/19

क्रमशः.....

6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
9. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।




कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 1916/अका./वार्षिक संबद्धता/46/2019
प्रतिलिपि:


दुर्ग, दिनांक : 16/12/2019

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव, के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।




सहा. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)







हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in

दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1917 / अका. / सीट वृद्धि / 2019

दुर्ग, दिनांक : 16 / 12 / 2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सीट वृद्धि सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	शासकीय डॉ. वा. वा., पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला - दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.A. Non Permanent Affiliation B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology including additional subj. Microbiology (30) B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths B.Com M.A.- Hindi M.A.- English M.A.- Sociology M.A.- Economics M.A.- Political Science PGDCA	320+30=350 160+20=180 80+20=100 320+50=370 20+10=30 20+10=30 20+10=30 20+10=30 20+10=30 30+20=50

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्राधान्यानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
- महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृद्ध करेंगे।
- तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
- उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 16 / 12 / 2019

पृ.क्र. 1918 / अका. / सीट वृद्धि / 2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
- कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
- गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

आयुक्त

5.2
15-12-19



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.प्र.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर बाक्स दुर्ग (छ.प्र.) - 491001

ई-मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1915 /अक. /वार्षिक संबद्धता /48 /2019

दुर्ग, दिनांक : 16 /12/2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12-12-2019 में की गई अनुशासा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनिषय 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबद्धता सत्र 2019-20 के लिए प्रदान की जाती है-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.प्र.)	Permanent Affiliation	
		B.A.- Hindi, English, Economics, Political Science, Sociology, Home Science including additional subj. with non-perma. Affill.	350
		Music (60), Chitrakala(60), History, Psychology, Bharat Natyam (60)	
		Non Permanent Affiliation	
		B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology including additional subj.	180
		Microbiology (30)	
		B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths	100
		B.Sc.- Home Science	60
		Including Food Sc. & Quality Control	
		B.Com	370
		M.A.- Hindi	30
		M.A.- Economics	30
		M.A.- Sociology	30
		M.A.- Political Science	30
		M.A.- English	30
		M.A.- Geography	15
		M. A.- Home Science	20
		M.Sc.- Physics	20
		M.Sc.-Zoology	20
		M.Sc.- Mathamatics	20
M.Sc. - Chemistry	10		
M.Sc.- Botany	15		
M.H.Sc. - Food & Nutrition	20		
M.Com.	80		
PGDCA	50		

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.प्र.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्राक्धानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डीनेशन न लिया जाये।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

क्रमशः.....

6. न्यूनतम शैक्षणिक स्तर की नियुक्ति पाठ्यक्रम लागू करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक माता-पिता में आवश्यक परिचितन करते हुए शैक्षणिक सुगमता को सुदृढ़ करेंगे।
8. लक्ष्यगत विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
9. उक्त संबंधित आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन तथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करावें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जावगी।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक : 16/12/2019

पृ.क्र. 1916/अका./वार्षिक संबद्धता/48/2019
प्रतिलिपि:

1. आचार्य, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव, के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. योपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।


सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)



हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1196/अका./वार्षिक संबद्धता/090/2019

दुर्ग, दिनांक : 06/06/2019

।।आदेश।।

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	Permanent Affiliation B.A. - Hindi, English, Economics, Political Science, Sociology, Home Science Including additional subj. with non perma.Affili. Music (60), Chitrakala(60), History, Psychology, Bharat Natyam (60)	320
		Non Permanent Affiliation B.Sc. - Chemistry, Botany, Zoology Including additional subj. Microbiology (30)	160
		B.Sc. - Chemistry, Physics, Maths	80
		B.H.Sc. -Including Food Sc. & Quality Control	60
		B.Com.	320
		M.A. - Hindi	20
		M.A. - Economics	20
		M.A. - Sociology	20
		M.A. - Political Science	20
		M.A. - English	20
		M.A. - Geography	15
		M.A. - Home Science	20
		M.Sc. - Physics	20
		M.Sc. - Zoology	20
		M.Sc. - Mathematics	20
		M.Sc. - Chemistry	10
		M.Sc. - Botany	15
		M.H.Sc. - Food & Nutrition	20
		M.H.Sc. - Textile	10
		M.Com.	80
PGDCA	30		

निर्देश :

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
 - शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
 - महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करेंगे।
 - तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
 - उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतर्गत अनिवार्यतः अवगत करावें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव


हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 1197/अका./वार्षिक संबंधिता/090/2019

दुर्ग, दिनांक : 06/05/2019

प्रतिलिपि:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।


प्र.हा. कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0788-2359400

क्र. 1038/अका./वार्षिक संबद्धता/008/2017

दुर्ग, दिनांक : 18/8/17


॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(i) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 18/08/2017 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) Email- govtgirlspgcollege@gmail.com Ph. No.- 0788-2323773	2017-18	Permanent Affiliation B.A.- Hindi, English, Economics, Political Science, Sociology, Home Science Including additional subj. with non perma. affili. Music (60), Chitrakala(60), History, Psychology, Bharat Natyam (60) Non Permanent Affiliation B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology Including additional subj. Microbiology (30) B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths B.H.Sc. Including Food Sc. & Quality Control B.Com M.A.- Hindi M.A.- Economics M.A.- Sociology M.A.- Political Science M.A.- English M.A.- Geography M.A.- Home Science M.Sc.- Physics M.Sc.- Zoology M.Sc.- Mathematics M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Botany M.H.Sc.- F & N M.H.Sc.- Textile M.Com. PGDCA	320 + 30 = 350 160 + 20 = 180 80 + 20 = 100 60 320 + 50 = 370 20 + 10 = 30 20 + 10 = 30 20 + 10 = 30 20 + 10 = 30 15 20 20 20 10 15 20 10 80 30 + 20 = 50

निर्देश

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का ओगेशन न लिया जावे।


क्रमशः.....
दुर्ग विश्वविद्यालय - दुर्ग

15-11
522
30-8-17

उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

एफ 3-50/2018/38-1

नया रायपुर, दिनांक 3/08/2018

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

शासकीय डॉ वा.वा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग में विभिन्न सकायों में सीट वृद्धि के संबंध में।


प्राचार्य शासकीय डॉ वा.वा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग का पत्र क्रमांक आर 164/2018, दिनांक 03/08/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में शासकीय डॉ वा.वा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर

हाविद्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग में निम्नानुसार विषय/सकाय में सीट वृद्धि की अनुमति दी जाती है :-

क्र.	कक्षा का नाम	सीट वृद्धि संख्या
1	बी.एस.सी. (बायो)	20
2	बी.एस.सी. (गणित)	20
3	बी. कॉम	50
4	बी.ए	30
5	एम.ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र)	10 सभी विषय
6	पी.जी.डी.सी.ए.	20

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।


(डॉ. समरेंद्र सिंह)

राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

एफ 3-50/2018/38-1

नया रायपुर, दिनांक 3/08/2018

नपि :-
निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.

सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर.

कलेक्टर जिला दुर्ग.

कर्मव्यवस्था अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.

जिला कोषालय छ0ग0,

प्राचार्य, शासकीय डॉ वा.वा पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग, जिला दुर्ग, छ0ग0

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आदेश फोल्डर।


राज्य संपर्क अधिकारी एवं पदेन उपसचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.)- 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0788-2359400

क्र. 1038/अका./वार्षिक संबद्धता/008/2017

दुर्ग, दिनांक : 18/8/17

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(i) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 18/08/2017 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) Email- govtgirlspgcollege@gmail.com Ph. No.- 0788-2323773	2017-18	Permanent Affiliation B.A.- Hindi, English, Economics, Political Science, Sociology, Home Science <u>Including additional subj. with non perma. affili.</u> Music (60), Chitrakala(60), History, Psychology, Bharat Natyān (60) Non Permanent Affiliation B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology <u>Including additional subj.</u> Microbiology (30) B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths B.H.Sc. Including Food Sc. & Quality Control B.Com M.A.- Hindi M.A.- Economics M.A.- Sociology M.A.- Political Science M.A.- English M.A.- Geography M.A.- Home Science M.Sc- Physics M.Sc- Zoology M.Sc- Mathematics M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Botany M.H.Sc.- F & N M.H.Sc.- Textile M.Com. PGDCA	320 160 80 60 320 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 10 15 20 10 80 30

निर्देश

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (संगरत भर्तियों सहित) देना होगा।
- शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।

क्रमशः.....

दुर्ग विश्वविद्यालय - 57



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: durguniversity@gmail.com Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2213300

क्र. 331 / अका. / संबद्धता वृद्धि - 106 / 2016

दुर्ग, दिनांक : 18/11/2016

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (52) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 17/11/2016 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।


क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) Email- govtgirlspgcollege@gmail.com Ph. No.- 0788-2323773	2016-17	Permanent Affiliation B.A.- Hindi, English, Economics, Political Sc., Sociology, Home Science <u>Including additional subj. with non perma. affili.</u> Music (60), Chitrakala(60), History, Psychology, Bharat Natyam (60) Non Permanent Affiliation B.Sc.- Chemistry, Botany, Zoology Including additional subj. Microbiology (30) B.Sc.- Chemistry, Physics, Maths B.H.Sc. Including Food Sc. & Quality Control B.Com M.A.- Hindi M.A.- Economics M.A.- Sociology M.A.- Political Science M.A.- English M.A.- Geography M.A.- Home Science M.Sc- Physics M.Sc.-Zoology M.Sc.-Mathamatics M.Sc.- Chemistry M.Sc.- Botany M.H.Sc.- F & N M.H.Sc.- Textile M.Com. PGDCA	320 160 80 60 320 20 20 20 20 20 15 20 20 20 10 15 20 10 80 30

क्रमशः

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
4. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
5. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
6. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करें।
7. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करें।
उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार


 ..
उप कुलसचिव (अका.)

पृ.क्र. 332 /अका. /2016

दुर्ग, दिनांक 18/11/2016

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. प्राचार्य, शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
4. परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

 ..
उप कुलसचिव (अका.)
उपकुलसचिव
दुर्ग विश्वविद्यालय - दुर्ग



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष 0771-2262802 (अवकाशिक) - 0771-2262540 (सम्बन्धित) फ़ोन-0771-2262818, 2262807

क्रमांक 2486 / अका / सम्ब वृद्धि / 2016

रायपुर, दिनांक 04/10/2016

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2016 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2016 में अनुमोदन प्रदान किया गया है अनुमोदन पश्चात् नीचे उल्लेखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2015-16 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
1	शासकीय डॉ. दामन वासुदेव प्राटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ. ग.) govtgirlspgcollege@gmail.com, govtwwpgcollege@yahoo.in Mobile No. - 9406012513	Permanent Affiliation B.A. - Hindi, English, Economics, Political Sc., Sociology, Home Sc Non-Permanent Affiliation B.A. - Music B.Sc. - 220 (192+28) Physics, Chemi., Math's, Botany, Zoology B.H.Sc. B.Com. - 289 (189+100) B.A. - Chitrakala B.A. - 300 (228+72) I.II - History, Psychology, Bharat Natyam-40 Seats B.Sc. - (Microbio.-30) Vocational Course B.Sc.Home Sc. - (30 Seat) Food Sc. & Quality Control M.A. - Hindi, Economics, Sociology, Political Sc. -20 Seats Eng. - 20 Seats, Geog. -15 Seats M.Sc. - Physics, Zoology, Maths -20 Seats, Chemistry -10 Seat M.H.Sc. - F. & N. M.Com. -50 Seats (45+5) M.Sc. - Prev.-Botany-15 Seats

उप कुलसचिव (अका.)

पृ क्रमांक 2487 / अका. / सम्ब वृद्धि / 2016
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 04/10/2016

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
 2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
 3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) / उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग / प्रभारी अधिकारी प्रेस
 4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष- 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 2510/अका./सम्ब.वृद्धि/2015

रायपुर, दिनांक 19/01/2015

010
146

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 09.09.2014 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2014 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2014-15 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय
1	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग जिला- दुर्ग (छ.ग.) govtgirlspgcollege@gmail.com, govtwwpgcollege@yahoo.in, Mobile No.- 9406012513	Permanent Affiliation <u>B.A.</u> - Hindi, English, Economics, Political Sc., Sociology, Home Sc. Non-Permanent Affiliation <u>B.A.</u> - Music <u>B.Sc.</u> - Physics, Chemi., Math's, Botany, Zoology. <u>B.H.Sc.</u> <u>B.Com.</u> <u>B.A.</u> - Chitrakala <u>B.A.</u> I,II - History, Psychology, Bharat Natyam-40 Seats <u>B.Sc.</u> (Microbio.-30) Vocational Course <u>B.Sc.Home Sc.</u> (30 Seat) Food Sc. & Quality Control <u>M.A.</u> - Hindi, Economics, Sociology, Political Sci.-20 Seats <u>Eng.</u> -20 Seats, Geog.-15 Seats <u>M.Sc.</u> - Physics, Zoology, Maths -20 Seats, Chemistry,-10 Seats <u>M.H.Sc.</u> - F. & N. <u>M.Com.</u> -30 Seats

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 2511 /अका./सम्ब.वृद्धि/2015
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 19/01/2015

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)



March, 2016

No. F.9-2/2016(CPP-I/PU)

The Registrar,
Durg Vishwavidyalaya,
Govt. Vasudev Vaman Patankar
Girls' P.G. College Campus,
Raipur Naka, Durg,
Chhattisgarh.

17 MAR 2016

Subject: - Establishment of Durg Vishwavidyalaya, Govt. Vasudev Vaman Patankar Girls' P.G. College Campus, Raipur Naka, Durg, Chhattisgarh as a State University.

Sir,

With reference to your letter No. 36/2015 dated 28.12.2015 on the above subject, I am directed to say that Durg Vishwavidyalaya, Govt. Vasudev Vaman Patankar Girls' P.G. College Campus, Raipur Naka, Durg, Chhattisgarh has been established by an Act of State Legislature of Chhattisgarh as a State University vide Act No. 16 of 2015 and notification No. 3715/D.140/21-A/Praru./C.G./15 dated 24.04.2015 and is empowered to award degrees as specified by the UGC under section 22 of the UGC Act 1956 through its own departments, its constituent colleges and/or through its affiliated colleges in regular mode with the approval of statutory bodies/councils, wherever required.

The University is not allowed to start any off-campus centre beyond the territorial jurisdiction of the State as per Hon'ble Supreme Court Judgment in Prof. Yash Pal vs State of Chhattisgarh case.

The University may note and adhere to the following: -

- (i) To ensure that no off campus centre(s)/study centre and the centres operating through franchises is opened by the University outside the territorial jurisdiction of the State in view of the judgment of Hon'ble Supreme Court of India in case of Prof. Yashpal vs. Government of Chhattisgarh.
- (ii) In case the university has already started any off-campus/study centre and the centre operating through franchises outside the State, it must be closed immediately.
- (iii) No distance education programs shall be started without the prior approval of UGC.
- (iv) M.Phil/Ph.D programs can be conducted as per the provisions of UGC (Minimum Standards and Procedure for Awards of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulations, 2009.

I am enclosing a copy of UGC (Fitness of Certain Universities for Grants) Rules. The detailed information in the prescribed format (attached) may please be sent to this office for considering the proposal to declare University fit to receive Central assistance under Section 12B of UGC Act, 1956.

Yours faithfully,


(Nirmal Kaur)
Under Secretary



GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG COLLEGE, DURG [SESSION : 2018-19]

S.NO	UG	Total Seats	GEN			SC			ST			OBC			G. TOTAL [UG]		
			Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total
1	B.A.-I	350	0	64	64	0	55	55	0	26	26	0	221	221	0	366	366
2	B.A.-II	350	0	47	47	0	27	27	0	27	27	0	131	131	0	232	232
3	B.A.-III	350	0	57	57	0	37	37	0	24	24	0	157	157	0	275	275
	TOTAL	1050	0	168	168	0	119	119	0	77	77	0	509	509	0	873	873
1	B.COM-I	370	0	172	172	0	24	24	0	23	23	0	120	120	0	339	339
2	B.COM-II	370	0	136	136	0	26	26	0	40	40	0	102	102	0	304	304
3	B.COM-III	370	0	111	111	0	18	18	0	24	24	0	80	80	0	233	233
	TOTAL	1110	0	419	419	0	68	68	0	87	87	0	302	302	0	876	876
1	B.Sc-I	280	0	28	28	0	32	32	0	58	58	0	135	135	0	253	253
2	B.Sc-II	280	0	32	32	0	23	23	0	29	29	0	103	103	0	187	187
3	B.Sc-III	280	0	23	23	0	11	11	0	16	16	0	72	72	0	122	122
	TOTAL	840	0	83	83	0	66	66	0	103	103	0	310	310	0	562	562
1	B.HSc-I	60	0	6	6	0	12	12	0	3	3	0	36	36	0	57	57
2	B.HSc-II	60	0	6	6	0	6	6	0	2	2	0	22	22	0	36	36
3	B.HSc-III	60	0	16	16	0	5	5	0	3	3	0	18	18	0	42	42
	TOTAL	180	0	28	28	0	23	23	0	8	8	0	76	76	0	135	135
	G. TOTAL	3180	0	698	698	0	276	276	0	275	275	0	1197	1197	0	2446	2446

S.NO	PG	Total Seats	GEN			SC			ST			OBC			G. TOTAL [PG]		
			Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total
1	M.A. SOCIOLOGY-I SEM	30	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	4	4	0	9	9
2	M.A. SOCIOLOGY-III SEM	30	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	8	8
	TOTAL	60	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	8	8	0	17	17
1	M.A. ECONOMICS-I	30	0	6	6	0	0	0	0	4	4	0	7	7	0	17	17
2	M.A. ECONOMICS-III	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	8	8	0	9	9
	TOTAL	60	0	6	6	0	0	0	0	5	5	0	15	15	0	26	26
1	M.A. POL. SCIENCE-I	30	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	8	8	0	12	12
2	M.A. POL. SCIENCE-III	30	0	3	3	0	3	3	0	1	1	0	3	3	0	10	10
	TOTAL	60	0	6	6	0	3	3	0	2	2	0	11	11	0	22	22
1	M.A. GEOGRAPHY-I	15	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	5	5	0	10	10
2	M.A. GEOGRAPHY-III	15	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	5	0	7	7
	TOTAL	30	0	2	2	0	3	3	0	2	2	0	10	10	0	17	17
1	M.A. HINDI-I	30	0	2	2	0	2	2	0	3	3	0	8	8	0	15	15
2	M.A. HINDI-III	30	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	15	15
	TOTAL	60	0	11	11	0	3	3	0	4	4	0	12	12	0	30	30
1	M.A. ENGLISH-I	30	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7	0	14	14

2	M.A. ENGLISH -III	30	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	7	7
	TOTAL	60	0	10	10	0	2	2	0	0	0	0	9	9	0	21	21
1	M.A. HOME SCIENCE -I	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	M.A. HOME SCIENCE -III	20	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	5	5
	TOTAL	40	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	6	6
1	M.COM- I	80	0	39	39	0	6	6	0	6	6	0	29	29	0	80	80
2	M.COM- III	80	0	34	34	0	7	7	0	11	11	0	19	19	0	71	71
	TOTAL	160	0	73	73	0	13	13	0	17	17	0	48	48	0	151	151
1	M.Sc. MATHS - I	20	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	13	13	0	16	16
2	M.Sc. MATHS - III	20	0	0	0	0	2	2	0	4	4	0	14	14	0	20	20
	TOTAL	40	0	0	0	0	4	4	0	5	5	0	27	27	0	36	36
1	M.Sc. PHYSICS - I	20	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	6	6	0	10	10
2	M.Sc. PHYSICS - III	20	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	6	6	0	10	10
	TOTAL	40	0	3	3	0	1	1	0	4	4	0	12	12	0	20	20
1	M.Sc. ZOOLOGY - I	20	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	6	6	0	10	10
2	M.Sc. ZOOLOGY - III	20	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	6	6	0	10	10
	TOTAL	40	0	0	0	0	2	2	0	6	6	0	12	12	0	20	20
1	M.Sc. BOTANY - I	15	0	2	2	0	1	1	0	5	5	0	7	7	0	15	15
2	M.Sc. BOTANY - III	15	0	1	1	0	3	3	0	4	4	0	6	6	0	14	14
	TOTAL	30	0	3	3	0	4	4	0	9	9	0	13	13	0	29	29
1	M.Sc. CHEMISTRY - I	10	0	4	4	0	1	1	0	2	2	0	3	3	0	10	10
2	M.Sc. CHEMISTRY - III	10	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	8	8
	TOTAL	20	0	6	6	0	2	2	0	3	3	0	7	7	0	18	18
1	M.Sc. [FOOD & NUTRI] - I	20	0	5	5	0	4	4	0	2	2	0	5	5	0	16	16
2	M.Sc. [FOOD & NUTRI] - III	20	0	4	4	0	2	2	0	1	1	0	4	4	0	11	11
	TOTAL	40	0	9	9	0	6	6	0	3	3	0	9	9	0	27	27
	G. TOTAL	740	0	136	136	0	45	45	0	63	63	0	196	196	0	440	440

S.NO	PG	Total Seats	GEN			SC			ST			OBC			G. TOTAL (PG)		
			Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total	Boy	Girl	Total
1	PGDCA	50	0	5	5	0	6	6	0	9	9	0	10	10	0	30	30
	TOTAL	50	0	4	5	0	6	6	0	9	9	0	10	10	0	30	30

UG	2446
PG	440
PGDCA	30
TOTAL	2916




 PRINCIPAL
 GOVT. DR. W.V. PATANKAR
 GIRLS P.G. COLLEGE, DURG
 Govt. Dr. W.V. Patankar
 Girls P.G. College, Durg (C.G.)

GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG COLLEGE, DURG (C.G.)

ADMITTED STUDENT (SESSION : 2017-18)

COLLEGE NAME - GOVT. DR. W.W.PATANKAR GIRLS PG COLLEGE, DURG

PRINCIPAL NAME - DR. SUSHIL CHANDRA TIWARI

E-MAIL ID- govtgirlspgcollegedurg@gmail.com

PHONE NO.- 0788 - 2323773

31.08.2017 के बाद की स्थिति में

Name of Class	MINORITY	General	SC	ST	OBC	TOTAL
B.A.- I	8	55	43	33	144	283
B.A.-II	11	26	32	28	155	252
B.A.-III	7	18	15	14	53	107
B.Com - I	41	95	30	37	105	308
B.Com -II	29	110	19	22	104	284
B.Com -III	41	117	21	24	79	282
B.Sc -I (MATHS+BIO+MICRO)	0	42	21	53	111	227
B.Sc -II (MATHS+BIO+MICRO)	3	21	20	27	90	161
B.Sc -III (MATHS+BIO+MICRO)	4	23	10	14	56	107
B.Sc - I (HOME SCEI.)	2	9	7	5	26	49
B.Sc - II (HOME SCEI.)	2	7	10	2	22	43
B.Sc - III (HOME SCEI.)	2	9	4	1	17	33
UG TOTAL	150	532	232	260	962	2136
M.A. SOCIOLOGY - I SEM.	0	1	1	1	5	8
M.A. SOCIOLOGY - III SEM.	2	0	1	0	3	6
M.A. ECONOMICS - I SEM.	0	2	0	2	11	15
M.A. ECONOMICS- III SEM.	3	3	3	0	10	19
M.A. POLYTICAL SC. - I SEM.	0	2	3	0	6	11
M.A. POLYTICAL SC.- III SEM.	1	2	0	2	1	6
M.A. GEOGRAPHY - I SEM.	0	1	2	0	5	8
M.A. GEOGRAPHY - III SEM.	0	0	0	1	1	2
M.A. HINDI - I SEM.	2	4	3	1	6	16
M.A. HINDI - III SEM.	0	4	1	2	3	10
M.A. ENGLISH - I SEM	2	3	1	0	3	9
M.A. ENGLISH - III SEM.	0	3	0	0	3	6
M.A. HOME SCIENCE - I SEM.	0	0	1	1	3	5
M.COM - I SEM.	3	33	10	10	23	79

M.COM - III SEM.	7	26	8	8	14	63
M.Sc- MATHS - I SEM.	0	2	2	4	12	20
M.Sc- MATHS - III SEM.	0	4	3	6	7	20
M.Sc- PHYSICS - I SEM.	2	0	0	2	6	10
M.Sc- PHYSICS - III SEM.	0	2	0	3	5	10
M.Sc- ZOOLOGY - I SEM.	0	0	2	2	6	10
M.Sc- ZOOLOGY - III SEM.	0	1	2	3	4	10
M.Sc- BOTONY - I SEM.	0	1	3	5	6	15
M.Sc- BOTONY -III SEM.	2	1	2	4	6	15
M.Sc- CHEMISTRY - I SEM.	0	2	2	2	3	9
M.Sc- CHEMISTRY - III SEM.	0	1	3	1	4	9
M.Sc- HOME SCI .- I SEM.	1	4	2	1	3	11
M.Sc- HOME SCI .- III SEM.	0	2	0	2	4	8
PGDCA	0	7	5	8	10	30
PG TOTAL	25	111	60	71	173	440

UG	2136
PG	410
PGDCA	30
TOTAL	2576

TOTAL	2576
GEN (-)	818
	1758

S2

PRINCIPAL

GOVT. DR. W.W. PATANKAR
GIRLS PG COLLEGE DURG

PRINCIPAL

**Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls PG. College, Durg (C.G.)**



GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG COLLEGE, DURG (C.G.)**ADMITTED STUDENT (SESSION : 2016-17)**

COLLEGE NAME - GOVT. DR. W.W.P. GIRLS PG COLLEGE DURG

PRINCIPAL NAME - Dr. S.C. TIWARI, PRINCIPAL

PHONE NO.- 0788 - 2323773

E-MAIL ID- govtgirlspgcollegedurg@gmail.com

Class Name	General	SC	ST	OBC	TOTAL
B.A. - I	57	36	24	147	264
B.A.-II	14	15	17	46	92
B.A.-III	16	16	12	55	99
B.Com - I	120	35	25	121	301
B.Com -II	155	18	24	66	263
B.Com -III	127	19	16	57	219
B.Sc -I (MATHS)	9	6	3	39	57
B.Sc -I BIOLOGY	12	18	21	59	110
B.Sc -I MICRO BIO.	6	5	4	15	30
B.Sc -II (MATHS)	3	0	4	22	29
B.Sc -II BIOLOGY	6	3	12	41	62
B.Sc -II MICRO BIO.	7	2	1	14	24
B.Sc -III (MATHS)	8	0	5	22	35
B.Sc -III BIOLOGY	3	5	16	25	49
B.Sc -III MICRO	5	5	4	10	24
B.HSc - I (HOME SCEI.)	10	12	5	22	49
B.HSc - II (HOME SCEI.)	6	5	2	18	31
B.HSc- III (HOME SCEI.)	4	2	1	6	13
TOTAL	568	202	196	785	1751
M.A. SOCIOLOGY - I SEM.	3	2	0	2	7
M.A. SOCIOLOGY - III SEM.	1	1	1	5	8
M.A. ECONOMICS - I SEM.	6	4	0	13	23
M.A. ECONOMICS- III SEM.	1	3	2	14	20
M.A. POLYTICAL SC. - I SEM.	3	0	2	2	7
M.A. POLYTICAL SC.- III SEM.	5	1	1	5	12
M.A. GEOGRAPHY - I SEM.	0	0	1	1	2

M.A. GEOGRAPHY - III SEM.	0	2	4	2	8
M.A. HINDI - I SEM.	3	1	3	5	12
M.A. HINDI - III SEM.	8	4	3	7	22
M.A. ENGLISH - I SEM.	6	3	0	3	12
M.A. ENGLISH - III SEM.	4	2	2	2	10
M.COM - I SEM.	31	8	9	15	63
M.COM - III SEM.	30	2	5	11	48
M.Sc- MATHS - I SEM.	4	3	6	7	20
M.Sc- MATHS - III SEM.	2	0	5	12	19
M.Sc- PHYSICS - I SEM.	2	0	3	5	10
M.Sc- PHYSICS - III SEM.	2	1	3	3	9
M.Sc- ZOOLOGY - I SEM.	1	2	3	4	10
M.Sc- ZOOLOGY - III SEM.	0	3	2	4	9
M.Sc- BOTONY - I SEM.	3	2	5	5	15
M.Sc- BOTONY -III SEM.	3	2	3	7	15
M.Sc- CHEMISTRY - I SEM.	3	1	2	4	10
M.Sc- CHEMISTRY - III SEM.	4	2	1	3	10
M.Sc- HOME SCI. - I SEM.	2	0	2	5	9
M.Sc- HOME SCI. - III SEM.	5	4	3	6	18
PGDCA	10	4	1	15	30
TOTAL	142	57	72	167	438
G. TOTAL	710	259	268	952	2189

UG	1751
PG	438
TOTAL	2189




PRINCIPAL

GOVT. DR. W.W. PATANKAR
GIRLS PG COLLEGE DURG.

PRINCIPAL

**Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls PG. College, Durg (C.G.)**

GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG COLLEGE, DURG

ADMISSION STUDENT (SESSION - 2015-16)

COLLEGE NAME GOVT.DR.WAMAN WASUDEV PATANKAR GIRLS P.G.COLLEGE, DURG
 PHONE NO. (OFF) 0778- 2323773 MAIL ID govtgirlspgcollege@gmail.com
 PRINCIPAL NAME DR.DEEPAK KARKUN MOBILE NO 9827299033 YEAR - 2015-16

S.N.	CLASS NAME	GEN		SC		ST		OBC		MINORITY		TOTAL
		FEMALE	TOTAL	FEMALE	TOTAL	FEMALE	TOTAL	FEMALE	TOTAL	FEMALE	TOTAL	FEMALE
1	B.A. PART - ONE	65	65	40	40	28	28	149	149	17	17	299
2	B.A. PART - TWO	38	38	18	18	19	19	68	68	6	6	149
3	B.A. PART -THREE	56	56	22	22	8	8	36	36	9	9	131
4	B.COM PART - ONE	157	157	22	22	30	30	59	59	18	18	286
5	B.COM PART - TWO	136	136	15	15	16	16	45	45	12	12	224
6	B.COM PART - THREE	125	125	10	10	15	15	60	60	3	3	213
7	B.SC. PART - ONE	40	40	22	22	48	48	116	116	5	5	231
8	B.SC. PART - TWO	15	15	10	10	31	31	53	53	0	0	109
9	B.SC. PART - THREE	27	27	18	18	9	9	38	38	2	2	94
10	BSc. HOME SCIENCE PART ONE	10	10	6	6	3	3	21	21	3	3	43
11	BSc. HOME SCIENCE PART TWO	9	9	2	2	1	1	5	5	2	2	19
12	BSc. HOME SCIENCE PART THREE	1	1	0	0	4	4	9	9	0	0	14
	PG TOTAL	679	679	185	185	212	212	659	659	77	77	1812
13	M.A. ECONOMICS 1st Sem	2	2	2	2	3	3	14	14	0	0	21
	M.A. ECONOMICS 3rd Sem	6	6	0	0	0	0	7	7	1	1	14
14	M.A. POLITICAL SC.1st Sem	5	5	1	1	1	1	4	4	1	1	12
	M.A. POLITICAL SC.3rd Sem	3	3	1	1	2	2	5	5	1	1	12
15	M.A. SOCIOLOGY 1st Sem	3	3	1	1	1	1	3	3	1	1	9
	M.A. SOCIOLOGY 3rd Sem	5	5	2	2	1	1	1	1	1	1	10
16	M.A. HINDI 1st Sem	9	9	4	4	2	2	8	8	2	2	25
	M.A. HINDI 3rd Sem	7	7	4	4	4	4	15	15	2	2	32
17	M.A. ENGLISH 1st Sem	5	5	3	3	1	1	3	3	0	0	12
	M.A. ENGLISH 3rd Sem	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	4
18	M.A. GEOGRAPHY 1st Sem	0	0	3	3	2	2	3	3	0	0	8
	M.A. GEOGRAPHY 3rd Sem	1	1	3	3	0	0	5	5	0	0	9

19	M.Sc. CHEMISTRY 1st Sem	5	5	1	1	1	1	3	3	0	0	10
	M.Sc. CHEMISTRY 3rd Sem	4	4	0	0	1	1	4	4	0	0	9
20	M.Sc. BOTANY 1st Sem	3	3	2	2	3	3	7	7	0	0	15
21	M.Sc. ZOOLOGY 1st Sem	1	1	3	3	2	2	4	4	0	0	10
	M.Sc. ZOOLOGY 3rd Sem	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	9
22	M.Sc. MATHS 1st Sem	2	2	1	1	5	5	12	12	0	0	20
	M.Sc. MATHS 3rd Sem	11	11	1	1	1	1	7	7	0	0	20
23	M.Sc. (FOON & NUT) 1st Sem	3	3	4	4	3	3	7	7	1	1	18
	M.Sc. (FOON & NUT) 3rd Sem	7	7	1	1	3	3	2	2	1	1	14
24	M.Sc. PHYSICS 1st Sem	2	2	2	2	3	3	3	3	0	0	10
	M.Sc. PHYSICS 3rd Sem	5	5	0	0	0	0	3	3	0	0	8
25	M.COM 1st Sem	37	37	4	4	6	6	8	8	8	8	63
	M.COM 3rd Sem	43	43	4	4	3	3	17	17	10	10	77
	TOTAL	171	171	49	49	51	51	149	149	31	31	451

UG	1812
PG	451
TOTAL	2263



S.2
PRINCIPAL

GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG
COLLEGE DURG

PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls PG College, Durg (C.G.)

GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG COLLEGE, DURG

ADMITTED STUDENT (SESSION - 2014-15)


COLLEGE NAME GOVT.DR.WAMAN WASUDEV PATANKAR GIRLS P.G.COLLEGE, DURG
 PHONE NO. (OFF) 0778- 2323773 MAIL ID govtgirlspgcollege@gmail.com
 PRINCIPAL NAME DR.DEEPAK KARKUN MOBILE NO 9827299033 YEAR - 2014-15

S.N.	CLASS NAME	GEN	SC	ST	OBC	MINORITY	TOTAL
1	B.A. PART - ONE	38	37	34	111	8	228
2	B.A. PART - TWO	26	19	18	39	18	120
3	B.A. PART -THREE	37	35	25	101	13	211
4	B.COM PART - ONE	72	23	20	90	34	239
5	B.COM PART - TWO	87	10	17	75	36	225
6	B.COM PART - THREE	83	6	5	58	35	187
7	B.SC. PART - ONE	29	37	56	103	6	231
8	B.SC. PART - TWO	30	13	9	33	4	89
9	B.SC. PART - THREE	15	10	9	35	4	73
10	BSc. HOME SCIENCE PART ONE	6	2	2	14	4	28
11	BSc. HOME SCIENCE PART TWO	3	2	2	6	0	13
12	BSc. HOME SCIENCE PART THREE	6	0	3	8	2	19
	UG TOTAL	432	194	200	673	164	1663
13	M.A. ECONOMICS 1st Sem	4	2	1	8	1	16
	M.A. ECONOMICS 3rd Sem	4	0	2	4	0	10
15	M.A. POLITICAL SC.1st Sem	2	1	4	5	1	13
	M.A. POLITICAL SC.3rd Sem	7	4	4	5	1	21
17	M.A. SOCIOLOGY 1st Sem	3	2	1	2	2	10
	M.A. SOCIOLOGY 3rd Sem	2	1	2	0	0	5
19	M.A. HINDI 1st Sem	7	3	6	16	2	34
	M.A. HINDI 3rd Sem	6	5	4	5	2	22
21	M.A. ENGLISH 1st Sem	3	0	0	2	1	6
	M.A. ENGLISH 3rd Sem	1	1	1	3	0	6
23	M.A. GEOGRAPHY 1st Sem	2	0	2	5	0	9

	M.A. GEOGRAPHY 3rd Sem	2	1	1	4	1	9
25	M.Sc. CHEMISTRY 1st Sem	4	1	1	4	0	10
	M.Sc. CHEMISTRY 3rd Sem	8	1	0	1	0	10
27	M.Sc. ZOOLOGY 1st Sem	2	1	3	2	1	9
	M.Sc. ZOOLOGY 3rd Sem	2	1	2	2	0	7
29	M.Sc. MATHS 1st Sem	6	2	0	10	2	20
	M.Sc. MATHS 3rd Sem	2	1	3	13	0	19
31	M.Sc. (FOON & NUT) 1st Sem	6	1	4	3	2	16
	M.Sc. (FOON & NUT) 3rd Sem	5	2	4	6	0	17
33	M.Sc. PHYSICS 1st Sem	4	0	0	4	0	8
	M.Sc. PHYSICS 3rd Sem	1	0	0	3	0	4
35	M.COM 1st Sem	32	10	4	18	15	79
	M.COM 3rd Sem	19	4	2	10	3	38
	PG TOTAL	134	44	51	135	34	398

UG	1663
PG	398
TOTAL	2061




 PRINCIPAL
 GOVT. DR. W.W. PATANKAR GIRLS PG COLLEGE
 DURG
PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls PG College, Durg (C.G.)

क्र. ४५५ / छात्रवृत्ति / 2014

दुर्ग, दिनांक २७ / 10 / 2014

प्रति,

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- बी०पी०एल० छात्रवृत्ति योजना 2014-15 प्रपत्र 1, 2, एवं 3 नवीनीकरण प्रस्ताव का प्रेषण ।
..... / /

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नियमित अध्ययरत छात्राओं के बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना प्रपत्र 1, 2, एवं 3 नवीनीकरण प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ।

सत्र 2014-15 के लिए निम्नानुसार आबंटन की आवश्यकता है ।

1	स्नातक स्तर नवीन	410	1204200
2	स्नातक स्तर नवीनीकरण	96	275100
3	स्नातकोत्तर नवीन	54	262500
4	स्नातकोत्तर नवीनीकरण	28	139500
Total		588	1881300 /-

(कुल राशि - अट्ठारह लाख इक्यासी तीन सौ रूपये मात्र)

संलग्न - प्रपत्र 1 स्नातक नवीन / नवीनीकरण

प्रपत्र 1 स्नातकोत्तर नवीन / नवीनीकरण

प्रपत्र 2 स्नातक नवीन / नवीनीकरण

प्रपत्र 2 स्नातकोत्तर नवीन / नवीनीकरण

प्रपत्र 3



डॉ. दीपक कारकून
PRINCIPAL

Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P.G. College, Durg (C.G.)



PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

क्र. 652 / छात्रवृत्ति / 2015

दुर्ग, दिनांक 29 / 09 / 2015

प्रति,

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

2015-16

विषय :- बी०पी०एल० छात्रवृत्ति योजना 2015-16 प्रपत्र 1, 2, एवं 3 नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव का प्रेषण ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नियमित अध्ययन छात्राओं के बी. पी.एल. छात्रवृत्ति योजना प्रपत्र 1, 2, एवं 3 नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ।

सत्र 2015-16 के लिए निम्नानुसार आकंटन की आवश्यकता है।

1	स्नातक स्तर नवीन	421	1257300/-
2	स्नातक स्तर नवीनीकरण	166	496800/-
3	स्नातकोत्तर नवीन	85	424500/-
4	स्नातकोत्तर नवीनीकरण	42	210000/-
Total		714	2388600/-

(कुल राशि - तेईस लाख अट्ठासी हजार छः सौ रुपये मात्र)

सलगन - प्रपत्र 1 स्नातक नवीन / नवीनीकरण
प्रपत्र 1 स्नातकोत्तर नवीन / नवीनीकरण
प्रपत्र 2 स्नातक नवीन / नवीनीकरण
प्रपत्र 2 स्नातकोत्तर नवीन / नवीनीकरण
प्रपत्र 3

PRINCIPAL

Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg (C.G.)



52
PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महावि
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788-2323773 फैक्स 0788 2212207
Email- govtdrillspgcollege@gmail.com Website: www.govtdrillspgcollegedurg.

क्र० 808 / छात्रवृत्ति / 2016-17

दुर्ग, दिनांक 28/10/12

प्रति,

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

2016-17

विषय :- बी०पी०एल० छात्रवृत्ति योजना 2016-17 प्रपत्र 1, 2, एवं 3 नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव का प्रेषण ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नियमित अध्ययनरत छात्राओं के बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना प्रपत्र 1, 2, एवं 3 नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं ।

सत्र 2016-17 के लिए निम्नानुसार आबंटन की आवश्यकता है।

1	स्नातक स्तर नवीन	343	1004400
2	स्नातक स्तर नवीनीकरण	158	456900
3	स्नातकोत्तर नवीन	71	339000
4	स्नातकोत्तर नवीनीकरण	61	291000
	कुल	633	2091300/-

(कुल राशि - बीस लाख इन्क्यानवे हजार तीन सौ रुपये मात्र)

संलग्न -

1. प्रपत्र 1 स्नातक नवीन / नवीनीकरण
2. प्रपत्र 1 स्नातकोत्तर नवीन / नवीनीकरण
3. प्रपत्र 2 स्नातक नवीन / नवीनीकरण
4. प्रपत्र 2 स्नातकोत्तर नवीन / नवीनीकरण
5. प्रपत्र 3



PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

(डॉ० एस० सी० तिवारी)
प्राचार्य

Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788-2212207 फैक्स 0788-2323773

Email- govtgirlspgcollege@gmail.com

Website: www.govtgirlspgcollegedurg.com

क्र. 929 बी.पी.एल.छा.वृ. / 2017-18

दुर्ग दिनांक 13/11/2017

प्रति,

उप संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लाक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल
इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)

2017-18

विषय—: बी.पी.एल छात्रवृत्ति योजन सत्र 2017-18 प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र-01(अ) स्नातक एवं स्नातकोत्तर नवीन नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रेषण।

संदर्भ—: आपका पत्रक्र53/75/आउशि/छा.वृ./2017 नया रायपुर दिनांक 29.10.2017

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नियमित अध्ययनरत छात्राओं के बी.पी.एल छात्रवृत्ति योजना सत्र 2017-18 प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र-01(अ) स्नातक एवं स्नातकोत्तर नवीन नवीनीकरण प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहें है। उपरोक्त जानकारी सामट कापी ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है।


सत्र 2017-18 के लिये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है।

1	स्नातक स्तर नवीन	473	1310700/-
2	स्नातक स्तर नवीनीकरण	291	750300/-
3	स्नातकोत्तर स्तर नवीन	62	284500/-
4	स्नातकोत्तर स्तर नवीनीकरण	48	230500/-
	कुल	874	2576000/-

(कुल राशि - पच्चीस लाख छिहत्तर हजार रुपये मात्र)

संलग्न -

- 1 . प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र-01(अ)
- 2 . प्रमाण-पत्र



OIC
PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
College, Durg

(डॉ० एस० सी० तिवारी)

PRINCIPAL

शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788-2212207 फैक्स 0788-2323773

Email- govtgirlsppcollege@gmail.com

Website: www.govtgirlsppcollegedurg.com



क्र० 880 / छा0वृ0 / 2018

दुर्ग, दिनांक 30.10.2018

प्रति,

अपर संचालक(डी)
उच्चशिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक 'सी' -30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

विषय - बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना सत्र 2018-19 प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र 01(अ) स्नातक एवं स्नातकोत्तर नवीन नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रेषण।

संदर्भ - आपका पत्र क्र० 138 / 135 / आउशि / छा0 वृ0 / 2018 अटल नगर, दिनांक: 09.10.2018।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत इस महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित अध्ययनरत छात्राओं के बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजनांतर्गत सत्र 2018-19 "प्रपत्र-01" एवं "प्रपत्र-01(अ)" स्नातक एवं स्नातकोत्तर (नवीन एवं नवीनीकरण) का प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उपरोक्त की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा प्रेषित कि जा रही है।

सत्र 2018-19 के लिये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है।

क्र.	मद / योजना	छात्र संख्या	कुल स्वीकृत राशि
1	स्नातक स्तर नवीन	563	1592100 / -
2	स्नातक स्तर नवीनीकरण	375	952500 / -
3	स्नातकोत्तर स्तर नवीन	71	320500 / -
4	स्नातकोत्तर स्तर नवीनीकरण	63	312500 / -
कुल		1072	3177600 / -

संलग्न -

1. प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र 01(अ)
2. प्रमाण पत्र।

(डॉ० सुशील चन्द्र तिवारी)

PRINCIPAL

Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P. G. College, Durg (C.G.)

ok

दुर्ग, दिनांक : 30.10.2018

पृ.क्र. 881 / छा.वृ. / 2018-19

तिलिपि :-

1. अग्रणी महाविद्यालय शासकीय व्ही.वाई.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।



S2

PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G.College, Durg

(डॉ० सुशील चन्द्र तिवारी)

Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P. G. College, Durg (C.G.)

ok



क्र० ०१२ / छा०वृ० / 2019

दुर्ग, दिनांक 31/10/19

प्रति,

यंजीकृत डाक से

अपर संचालक (एच)

उच्चशिक्षा संचालनालय,

ब्लॉक 'सी'-03, द्वितीय एवं तृतीय तल,

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ०ग०)

विषय - बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना सत्र 2019-20 प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र 01(अ) स्नातक एवं स्नातकोत्तर नवीन नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रेषण।

संदर्भ - आपका पत्र क्र० 440/आउशि/छा० वृ० प्र०/2019 अटल नगर रायपुर,
दिनांक: 14.10.2019

—000—


उपरोक्त विषयांतर्गत इस महाविद्यालय में प्रवेशित नियमित अध्ययनरत छात्राओं के बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजनांतर्गत सत्र 2019-20 "प्रपत्र-01" एवं "प्रपत्र-01(अ)" स्नातक एवं स्नातकोत्तर (नवीन एवं नवीनीकरण) का प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। उपरोक्त की साफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा प्रेषित कि जा रही है।

सत्र 2019-20 के लिये निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है।

क्र.	मद/योजना	छात्र संख्या	कुल स्वीकृत राशि
1	स्नातक स्तर नवीन	342	987600 / -
2	स्नातक स्तर नवीनीकरण	291	784200 / -
3	स्नातकोत्तर स्तर नवीन	69	185700 / -
4	स्नातकोत्तर स्तर नवीनीकरण	23	62100 / -
कुल		725	2019600 / -

संलग्न -

1. प्रपत्र-01 एवं प्रपत्र 01 (अ)
2. प्रमाण पत्र।
3. सी.डी.।


PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P.G. College, Durg (C.G.)


पृ.क्र. ०१३ / छा.वृ. / 2019-20


दुर्ग, दिनांक : 31/10/19

प्रतिलिपि :-

1. अग्रणी महाविद्यालय शासकीय व्ही.वाई.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।




PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg


PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P.G. College, Durg (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788-2212207 फैक्स 0788-2323773

Email- govtgirlspgcollege@gmail.com

Website: www.govtgirlspgcollegedurg.com

College Code : 1602

क्र. 918 / छात्रवृत्ति / 2019

दुर्ग, दिनांक 04/11/2019

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन का प्रेषण।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 579/अ.जा.क./6/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति/2019
दुर्ग, दिनांक 03.08.2019

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में अध्ययनरत नियमित अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएँ जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है, की हार्डकापी मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार



PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

शासक डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
Girls P.G. College, Durg

Minority Base	Percentage Base
Naveen — 32	Naveen — 05
Naveenikaran — 07 (Renewal)	Naveenikaran — 07 Renewal
Total — 39	Total — 12 4 16

OM/SUKHATME/BPL/NSP/HINDI LETTER



क्र. 1073 / छात्रवृत्ति / 2019

दुर्ग, दिनांक 2/12/2019

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- समयावधि वृद्धि के बाद अल्पसंख्यक ऑनलाईन छात्रवृत्ति वर्ष 2019-20 के आवेदनों का प्रेषण।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 579/अ.जा.क./6/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति/2019
दुर्ग, दिनांक 03.08.2019

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख है कि महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में अध्ययनरत नियमित अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएँ जिन्होंने छात्रवृत्ति समयावधि वृद्धि के बाद प्राप्त ऑनलाईन आवेदन की हार्डकापी मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र.	मद/योजना	छात्र संख्या	रिमार्क
1	नवीन	01	
2	नवीनीकरण	02	
	कुल	03	

संलग्न - उपरोक्तानुसार



52
Govt. D.T. W.W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

52

(डॉ० एस० सी० तिवारी)
प्राचार्य

शास० डॉ० वा० वा० पाटणकर कन्या
स्नातको० महाविद्यालय, दुर्ग (छ०ग०)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788-2212207 फैक्स 0788-2323773
Email- govgirlscollege@gmail.com Website: www.govgirlscollege.org College Code : 1602



क्र. 913 / छात्रवृत्ति / 2019

दुर्ग, दिनांक 04/11/2019

प्रति,


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :- वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन का प्रेषण।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 579/अ.जा.क./6/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति/2019
दुर्ग, दिनांक 03.08.2019

— 000 —

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदरमित पत्रानुसार लेख है कि महाविद्यालय में सत्र 2019-20 में अध्ययनरत नियमित अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएँ जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है, की हार्डकापी मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


— प्राचार्य —
PRINCIPAL
शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P. G. College, Durg

O/C
Only 1206
4.11.19

Minority Base	Percentage Base
Narceen — 32	Narceen — 05
Narceenikaran — 07 (Renewal)	Narceenikaran — 07 Renewal
Total — 39	Total — 12




PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P. G. College, Durg

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

Email- govtsprcollege@gmail.com

Website: www.govtgirlspgcollegedurg.com

क्र. 883 / छात्रवृत्ति / 2018

दुर्ग, दिनांक 2/11/18

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

- विषय :- वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन नवीन एवं नवीनीकरण का प्रेषण।
- संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, का पत्र क्रमांक/अ.सं. छा/पो.मै./न.क्र.02/18-19/7456 नया रायपुर, दिनांक 12.10.2018

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदरित पत्रानुसार लेख है कि महाविद्यालय में सत्र 2018-19 में अध्ययनरत नियमित अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएँ जिन्होंने छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन नवीन/नवीनीकरण किया है, की हार्डकापी मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अल्पसंख्यक
नवीन - 20
नवीनीकरण - 10

समितिक
नवीन - 07
नवीनीकरण - 09
9302838706
सुनील सुखवाले

o/c

S.2
(डॉ० ए.सि. पाटणकारी)
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls' P.G. College
शासक डॉ० वा० वा० पाटणकर कन्या
स्नातको महाविद्यालय, दुर्ग (छ०ग०)

पी०ए०
Principal
(10)

OM/SUKHATME/SPL/SP/SHIKI/LETTER



PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

Scanned by CamScanner

क्र. 787/2017

दुर्ग, दिनांक : 09.10.2017

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, दुर्ग
(छ0ग0)

विषय- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्रस्ताव का प्रेषण।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत अल्पसंख्यक श्रेणी की छात्राओं के छात्रवृत्ति प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न -

1. नवीन (संख्या - 27) + 4
2. नवीनीकरण (संख्या - 8)

Recd 85 Form
Kubs
9/10/2017

o/c

52
(डॉ० एस० सी० तिवारी)
PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls P.G. College, Durg (C.G.)



PRINCIPAL
Govt. Dr. W. W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788-2212207 फैक्स 0788 2212207
Email- govgirlscollege@gmail.com

Website: www.govgirlscollege.org

क्र० 857 / 2016

दुर्ग, दिनांक 09/11/2016

प्रति,

2016-17

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास शाखा
दुर्ग (छ०ग०)

विषय: - अनुसूचित जनजाति / अल्प संख्यक छात्रवृत्ति प्रस्ताव का प्रेषण।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत महाविद्यालय नियमित अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति/अल्प संख्यक श्रेणी की छात्राओं के छात्रवृत्ति प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति प्रस्ताव	कुल 112
02. अल्प संख्यक छात्रवृत्ति प्रस्ताव नवीन	कुल 36
03. अल्प संख्यक छात्रवृत्ति प्रस्ताव नवीनकरण	कुल 06

(डॉ० एस० सी० तिवारी)

शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ०ग०)

Online 08
112 5P
36 6 Mins
6 form, 6 Mins

42 form
10/11/2016
10/11/16

Ashu A letter



PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls' College, Durg

Scanned by CamScanner

ब्याज- 2015-2016

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ०वा०वा० पाटणकर
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग (छ०ग०)
पूर्व नाम - शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. 0788-2323773

क. 706 / छात्रवृत्ति / 2015

दुर्ग, दिनांक 27 / 10 / 2015

प्रति,


जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग छ.ग.

विषय :- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदन फार्म का प्रेषण।

विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं के सत्र 2015-16 छात्रवृत्ति आवेदन फार्म मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्न :- कुल 41 फार्म

Received
27/10/15

(डॉ०दीपक कारकून) 
प्राचार्य PRINCIPAL
शास. डॉ०वा०वा० पाटणकर
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)

C:\Kishan\scanned\new file subh / 0




PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg

Scanned by CamScanner

महाविद्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)

पूर्व नाम-शासकीय कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788 2212207 फैक्स 0788 2212207

Email- govtgirlspgcollege@gmail.com

Website: www.govtgirlspgcollegedurg.com

क. 839 / छात्रवृत्ति / 2014

दुर्ग, दिनांक 21 / 10 / 2014

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास शाखा,
दुर्ग (छ.ग.)

विषय 2014 -15 के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फार्मों का प्रेषण।

विषयान्तर्गत महाविद्यालय में अल्पसंख्यक श्रेणी के कुल रजिस्टर्ड 51 छात्राओं में से स्कूटनी करके फार्म की सूची निम्नानुसार आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न सूची -

1. नवीन आवेदन - 43
2. नवीनीकरण आवेदन - 05
3. ऐसे आवेदन जो महाविद्यालय में जमा नहीं किए गए - 03

48 form
Kits
22/10/2014

Dr.
डॉ. दीपक कारकून
प्राचार्य
PRINCIPAL
शासकीय डॉ. वा. वा. पाटणकर
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
दुर्ग (छ.ग.)



SD
PRINCIPAL
Govt. Dr. W.W. Patankar
Girls' P.G. College, Durg